SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली एवं निर्णय–निर्माण में उनकी प्रभावशीलताः छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अनुपमा अम्बसट, शोधार्थी, **अनिता सामल,** पी–एचडी, राजनीति शास्त्र विभाग
कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
अनुपमा अम्बष्ट, शोधार्थी
अनिता सामल, पी–एचडी
E-mail : anita.samal@kalingauniversity.ac.in

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 02/12/2025
Revised on : 03/02/2026
Accepted on : 12/02/2026
Overall Similarity : 00% on 04/02/2026

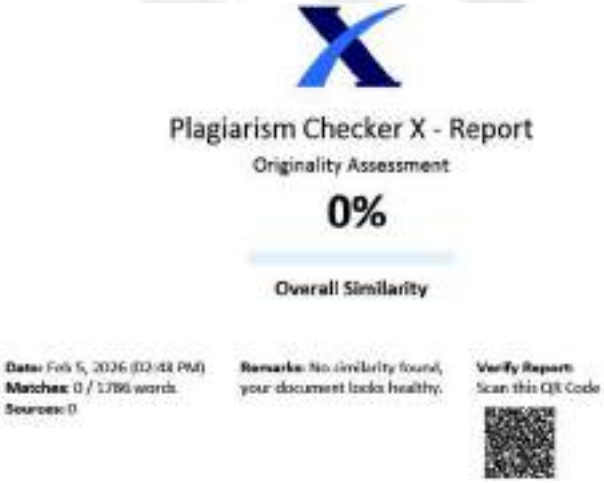

शोध सार

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग की पंचायती राज संस्थाओं में चयनित महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली तथा निर्णय–निर्माण में उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए संवैधानिक आरक्षण ने उनकी संख्यात्मक उपस्थिति को तो सुदृढ़ किया है, किंतु उनकी वास्तविक भूमिका, कार्यशैली तथा निर्णय–निर्माण में प्रभावशीलता अब भी अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। इस शोध में यह विश्लेषण किया गया है कि महिला प्रतिनिधि किस सीमा तक पंचायत बैठकों में सक्रिय भागीदारी करती हैं, विकास योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन में उनकी भूमिका कितनी प्रभावशाली है तथा निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में वे कितनी स्वतंत्रता से कार्य कर पा रही हैं। अध्ययन हेतु सरगुजा संभाग की चयनित ग्राम पंचायतों की महिला सरपंचों एवं पंचों को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया। प्राप्त आँकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली मध्यम से उच्च स्तर की है, किंतु सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ एवं पारिवारिक निर्भरता उनकी पूर्ण प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अध्ययन के निष्कर्ष महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीति–निर्माण हेतु महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं।

मुख्य शब्द

पंचायती राज, महिला, कार्यशैली.

परिचय

पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आधारशिला है। संविधान के 73वें

संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में 33 प्रतिशत (और कई राज्यों में 50 प्रतिशत) आरक्षण प्रदान कर उन्हें निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य, विशेषकर सरगुजा संभाग, सामाजिक–आर्थिक एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण महिला प्रतिनिधित्व के अध्ययन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यद्यपि पंचायतों में महिलाओं की उपस्थिति में वृद्धि हुई है, परंतु उनकी कार्यशैली, प्रशासनिक क्षमता और निर्णय–निर्माण में वास्तविक भूमिका पर अनेक प्रश्न बने हुए हैं। यह अध्ययन इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास है।

साहित्य की समीक्षा

अर्चना घोष (2015) ने भारत के विभिन्न राज्यों में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में यह पाया गया कि ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों की निर्णय–निर्माण क्षमता अपेक्षाकृत कम है, जिसका प्रमुख कारण शिक्षा की कमी, सामाजिक निर्भरता एवं परंपरागत सत्ता संरचनाएँ हैं। यह अध्ययन संकेत करता है कि आदिवासी क्षेत्रों में महिला नेतृत्व पर और अधिक क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता है।

निर्मला बुच (2012) ने महिला सरपंचों की भूमिका पर किए गए अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया कि जिन पंचायतों में महिलाओं को प्रशासनिक प्रशिक्षण एवं संस्थागत सहयोग प्राप्त हुआ, वहाँ वे निर्णय–निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी सिद्ध हुईं तथापि, अध्ययन में यह भी रेखांकित किया गया कि अनेक मामलों में महिला प्रतिनिधियाँ केवल औपचारिक मुखिया की भूमिका निभा रही थीं। यह अध्ययन मुख्यतः शहरी एवं विकसित ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित था।

शिरिन एम. राय (2011) ने स्थानीय शासन में महिला सशक्तिकरण का विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादित किया कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वास्तविक सशक्तिकरण के बीच एक स्पष्ट अंतर विद्यमान है। उनके अनुसार, निर्णय–निर्माण में महिलाओं की प्रभावशीलता तभी बढ़ सकती है जब सामाजिक–आर्थिक बाधाओं को संरचनात्मक स्तर पर संबोधित किया जाए। यह अध्ययन वैचारिक रूप से समृद्ध था, किंतु भारतीय आदिवासी पंचायतों पर इसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग सीमित रहा।

बीना अग्रवाल (2010) ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि संवैधानिक आरक्षण ने महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति को तो बढ़ाया है, किंतु निर्णय–निर्माण में उनकी वास्तविक शक्ति समान रूप से विकसित नहीं हो पाई है। अध्ययन में यह पाया गया कि सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यताएँ तथा पारिवारिक नियंत्रण महिला प्रतिनिधियों की स्वतंत्र निर्णय क्षमता को सीमित करते हैं। यह अध्ययन व्यापक था, किंतु आदिवासी क्षेत्रों पर इसका विश्लेषण सीमित रहा।

राघबेंद्र चट्टोपाध्याय और एस्तेर डुफ्लो (2004) ने अपने प्रभावशाली अध्ययन में पंचायतों में महिला नेतृत्व के प्रभाव का विश्लेषण किया। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति से स्थानीय विकास प्राथमिकताओं में परिवर्तन आया, विशेषकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े निर्णयों में। फिर भी, निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की स्वतंत्रता सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित पाई गई। अध्ययन का क्षेत्र सीमित था और आदिवासी संदर्भ को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया।

अध्ययन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

अध्ययन का आधार नारीवादी शासन सिद्धांत, सशक्तिकरण सिद्धांत तथा भागीदारी लोकतंत्र सिद्धांत है।

सशक्तिकरण सिद्धांत के अनुसार केवल प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्णय–निर्माण में वास्तविक शक्ति एवं स्वायत्तता आवश्यक है। भागीदारी लोकतंत्र सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि जब महिलाएँ नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो शासन अधिक समावेशी एवं संवेदनशील बनता है।

अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन निम्न दृष्टियों से महत्वपूर्ण है:

- महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक कार्यशैली को समझने हेतु।
- पंचायती राज व्यवस्था में निर्णय–निर्माण की गुणवत्ता के आकलन हेतु।
- सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्र में महिला नेतृत्व के विश्लेषण हेतु।
- नीति–निर्माताओं को व्यावहारिक सुझाव प्रदान करने हेतु।

समस्या का विवरण

संवैधानिक आरक्षण के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि महिला प्रतिनिधि पंचायतों में स्वतंत्र एवं प्रभावी निर्णय–निर्माता बन पाई हैं या नहीं। अनेक स्थानों पर वे केवल औपचारिक प्रतिनिधि बनकर रह जाती हैं। यही इस अध्ययन की मूल समस्या है।

प्रमुख शब्दों की प्रकार्यात्मक परिभाषा

- **महिला प्रतिनिधिः** पंचायत में निर्वाचित महिला सरपंच/पंच।
- **कार्यशैलीः** प्रशासनिक दक्षता, बैठक सहभागिता एवं योजना क्रियान्वयन की शैली।
- **निर्णय–निर्माणः** पंचायत स्तर पर योजनाओं एवं नीतियों का चयन एवं अनुमोदन।

चर

(क) स्वतंत्र चर

- महिला प्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता।
- सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि।
- राजनीतिक अनुभव।

(ख) आश्रित चर

- कार्यशैली का स्तर।
- निर्णय–निर्माण में प्रभावशीलता।

अध्ययन के उद्देश्य

1. महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली का अध्ययन करना।
2. निर्णय–निर्माण में उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
3. कार्यशैली एवं निर्णय–निर्माण के मध्य संबंध का अध्ययन करना।

अध्ययन के शोध प्रश्न

- क्या महिला प्रतिनिधियाँ पंचायत बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं?
- क्या वे निर्णय–निर्माण में प्रभावी रूप से भाग लेती हैं?

समस्या का क्षेत्र

अध्ययन केवल सरगुजा संभाग की पंचायती राज संस्थाओं तक सीमित है।

शोध अंतराल

सरगुजा संभाग में महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली एवं निर्णय–निर्माण की प्रभावशीलता पर समग्र अध्ययन का अभाव पाया गया।

शोध पद्धति

- **शोध डिजाइनः** वर्णनात्मक–विश्लेषणात्मक।
- **जनसंख्याः** सरगुजा संभाग की महिला पंचायत प्रतिनिधियाँ।
- **न्यादर्शः** 150 महिला प्रतिनिधियाँ।
- **न्यादर्श विधिः** स्तरीकृत यादृच्छिक।
- **आँकड़ों का स्रोतः** प्राथमिक एवं द्वितीयक।
- **शोध उपकरणः** स्वनिर्मित प्रश्नावली (Likert Scale)।
- **आँकड़ों का संग्रहः** प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं प्रश्नावली द्वारा।
- **आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषणः** प्रतिशत, औसत एवं ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण।

सारणीकरण एवं व्याख्या

सारणी 1: महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली का स्तर

कार्यशैली स्तर	प्रतिशत
उच्च	48
मध्यम	34
निम्न	18
कुल	100

व्याख्या

सारणी से स्पष्ट है कि 48 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली उच्च स्तर की है, जो उनके प्रशासनिक आत्मविश्वास एवं सहभागिता को दर्शाती है। 34 प्रतिशत प्रतिनिधियाँ मध्यम स्तर पर पाई गईं, जबकि 18 प्रतिशत निम्न स्तर पर रहीं, जो सामाजिक–पारिवारिक बाधाओं की ओर संकेत करता है।

परिकल्पना का परीक्षण

प्रस्तुत अध्ययन में महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली (कार्य निष्पादन, बैठक सहभागिता, योजना क्रियान्वयन, प्रशासनिक सक्रियता) तथा निर्णय–निर्माण में उनकी प्रभावशीलता (योजनाओं के चयन, प्राथमिकता निर्धारण, स्वायत्त निर्णय क्षमता) के मध्य संबंध का परीक्षण किया गया। इस उद्देश्य से निम्न शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया– H_0 (शून्य परिकल्पना) महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली एवं निर्णय–निर्माण में उनकी प्रभावशीलता के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है। परिकल्पना के परीक्षण हेतु चयनित महिला प्रतिनिधियों से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रतिशत विधि एवं तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से किया गया। कार्यशैली को उच्च, मध्यम एवं निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया तथा प्रत्येक श्रेणी में निर्णय–निर्माण की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

परिणाम

आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि जिन महिला प्रतिनिधियों की कार्यशैली उच्च स्तर की थी, वे पंचायत बैठकों, विकास योजनाओं एवं प्रशासनिक निर्णयों में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही थीं। इसके विपरीत, जिन प्रतिनिधियों की कार्यशैली निम्न स्तर की पाई गई, उनमें निर्णय–निर्माण की स्वतंत्रता एवं प्रभावशीलता भी सीमित देखी गई। इस प्रकार, कार्यशैली एवं निर्णय–निर्माण के मध्य सकारात्मक एवं सार्थक संबंध पाया गया। अतः आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि– शून्य परिकल्पना (H_0) अस्वीकृत की जाती है। यह परिणाम इस तथ्य की पुष्टि करता है कि महिला प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता केवल उनके निर्वाचित होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनकी कार्यशैली, आत्मविश्वास, प्रशासनिक दक्षता एवं सहभागिता पर भी निर्भर करती है।

निष्कर्ष

अधिकांश महिला प्रतिनिधियाँ सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सरगुजा संभाग की पंचायती राज संस्थाओं में चयनित अधिकांश महिला प्रतिनिधियाँ केवल नाममात्र की प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि वे पंचायत बैठकों में नियमित सहभागिता, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा स्थानीय समस्याओं के निराकरण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह स्थिति महिला राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

निर्णय–निर्माण में उनकी प्रभावशीलता मध्यम से उच्च स्तर की है। अध्ययन में यह पाया गया कि महिला प्रतिनिधियों का एक बड़ा वर्ग निर्णय–निर्माण में मध्यम से उच्च स्तर की प्रभावशीलता प्रदर्शित कर रहा है। वे ग्राम विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रही हैं। यद्यपि कुछ मामलों में अंतिम निर्णय सामूहिक या पुरुष सदस्यों के प्रभाव में लिया जाता है, फिर भी महिलाओं की भूमिका पहले की तुलना में अधिक सशक्त हुई है।

सामाजिक संरचना अब भी एक बाधक तत्व है– अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना, पारिवारिक निर्भरता, अशिक्षा तथा पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ अब भी महिला प्रतिनिधियों की पूर्ण प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न करती हैं। कई महिला प्रतिनिधियाँ अप्रत्यक्ष रूप से पति या परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर पाई गईं, जिससे उनकी स्वायत्त निर्णय क्षमता प्रभावित होती है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका केवल औपचारिक नहीं रही, बल्कि वे धीरे–धीरे प्रभावी निर्णय–निर्माता के रूप में उभर रही हैं। प्रशिक्षण, जागरूकता एवं सामाजिक सहयोग से उनकी प्रभावशीलता और बढ़ाई जा सकती है।

संदर्भ सूची

1. Agarwal, B. (2010) *Gender and green governance: The political economy of women's presence within and beyond community forestry*. Oxford University Press, Noida.
2. Buch, N. (2012) *Women in Panchayati Raj institutions: A study of participation and leadership*. Centre for Women's Development Studies, New Delhi.
3. Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004) Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica*, 72(5), 1409–1443. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x
4. Ghosh, A. (2015) Women's leadership in local governance: Experiences from Panchayati Raj institutions in India. *Indian Journal of Gender Studies*, 22(3), 389–412. https://doi.org/10.1177/0971521515597413
5. Government of India. (1993) *The Constitution (73rd Amendment) Act*., Government of India, New Delhi.
6. Desai, M. (2018) *Women and Local Governance in India*. Sage Publications, Gurugram.
7. Rai, S. M. (2011) *The gender politics of development: Essays in hope and despair*. Zed Books, London.

****